



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-105/2020
दिनांक : 18.05.2020

कार्यालयादेश

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत परामर्श (Advisory) के अनुसरण में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (इलाहाबाद) और क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता दिनांक 31.05.2020 तक बंद रहेंगे।

विश्वविद्यालय के वर्धा मुख्यालय स्थित विभाग, कार्यालय पूर्व में जारी कार्यालयादेश क्रमांक 003/2003/का.आ./02-87/2020 दिनांक 17.04.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार खुले रहेंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 18/05/2020

प्रति (ईमेल द्वारा):

1. समस्त अकादमिक विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. अकादमिक निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (इलाहाबाद)
3. प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज (इलाहाबाद)
4. क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली